

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम आधार कार्ड में श्रीमती सुदर्शना देवी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थिया आधार कार्ड में अपना सही नाम श्रीमती दर्शना देवी दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ पत्र व रिकार्ड कागजात को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थिया का सही नाम श्रीमती दर्शना देवी पुत्री निक्का राम दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड में नाम दुरुस्त करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 22-01-2025 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत धमेहड़ में हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
06 / 25 / TEH

तारीख दायरा
03-01-2025

तारीख पेशी
22-01-2025

प्रार्थी अरजीत सिंह पुत्र सन्त राम, निवासी महाल देहरियां, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल देहरियां, पटवार वृत्त समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रणजीत सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अरजीत सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रणजीत सिंह के बजाए रणजीत सिंह उपनाम अरजीत सिंह जमाबन्दी महाल देहरियां में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
05/25/TEH

तारीख दायरा
03-01-2025

तारीख पेशी
22-01-2025

प्रार्थी अरजीत सिंह पुत्र सन्त राम, निवासी महाल देहरियां, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल नागन, पटवार वृत्त गगल खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरजीत सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अरजीत सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम अरजीत सिंह की बजाए हरजीत सिंह उर्फ अरजीत सिंह जमाबन्दी महाल देहरियां में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
04/25/TEH

तारीख दायरा
03-01-2025

तारीख पेशी
22-01-2025

प्रार्थी स्वरूप चन्द पुत्र रतन चन्द, निवासी महाल व मौजा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल हार, पटवार वृत्त जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सरूप चन्द दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम स्वरूप चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सरूप चन्द की बजाए सरूप चन्द उपनाम स्वरूप चन्द जमाबन्दी महाल हार में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0

तारीख दायरा

तारीख पेशी

03/25/TEH

03-01-2025

22-01-2025

प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र परस, निवासी महाल बाग, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल बाग, पटवार वृत्त गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम डोआ दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के दादा का नाम वृजलाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम डोआ की बजाए डोआ उपनाम वृजलाल जमाबन्दी महाल गगल में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
49/24/TEH

तारीख दायरा
03-01-2025

तारीख पेशी
22-01-2025

प्रार्थी संजत पटियाल पुत्र विक्रम सिंह, निवासी महाल गांहलिया खास, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा
आग्रह किया गया है कि महाल गांहलिया खास, पटवार वृत्त गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रजत पटियाल दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी
का नाम संजत पटियाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रजत पटियाल की बजाए
रजत पटियाल उपनाम संजत पटियाल पुत्र विक्रम सिंह, निवसी महाल गांहलिया दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को
कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर
सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
02/25/TEH

तारीख दायरा
03-01-2025

तारीख पेशी
22-01-2025

प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र उधो राम, निवासी महाल कोहाला, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सुनेहड़ कोहाला पटवार वृत्त कोहाला, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रविन्द्र कुमार दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम रविन्द्र सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रविन्द्र कुमार की बजाए रविन्द्र कुमार उपनाम रविन्द्र सिंह पुत्र उधो राम जमाबन्दी महाल सुनेहड़ कोहाला में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
01/25/TEH	03-01-2025	22-01-2025

प्रार्थिया श्रीमती रूपां देवी उपनाम रूमा देवी पुत्री स्वारू, निवासी महाल ईच्छी खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल इच्छी खास, पटवार वृत्त इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम रूपां देवी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम रूमा देवी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रूपां देवी की बजाए रूपां देवी उपनाम रूमां देवी पुत्री स्वारू, निवासी महाल इच्छी खास दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
02/2025

तारीख दायरा

तारीख पेशी
03-01-2025 22-01-2025

प्रार्थिया श्रीमती पुष्पिन्दरा देवी पुत्री धनी राम, निवासी महाल जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती पुष्पिन्दरा देवी पुत्री धनी राम, निवासी महाल जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बावत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि
उसका जन्म दिनांक 20-11-1983 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत जमानावाद के रिकार्ड
में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे
किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-01-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष
हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर
नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
01/2025

तारीख दायरा

तारीख पेशी
03-01-2025 22-01-2025

प्रार्थी राजन कुमार पुत्र हरवंश लाल, निवासी महाल नटेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी राजन कुमार पुत्र हरवंश लाल, निवासी महाल नटेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बावत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 02-03-1972 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत हलेड कंला के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-01-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 53/24

किस्म मुकद्दमा : तकसीम ईशतहार राजपत्र

संदीप कुमार, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार, प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 सुरेश कुमार, निवासी महाल बुहली तंगरोटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. राकेश कुमारी विधवा सुरेश कुमार, 2. शांति स्वरूप, 3. नवल किशोर, 4. अमित कुमार पुत्र व 5. सुमना देवी पुत्री रोशन लाल, 6. राधा देवी पत्नी अमित कुमार, 7. परषोतम लाल पुत्र सुखू, 8. रेणु बाला पत्नी रमन कुमार, 9. जगतम्बा प्रशाद, 10. पवन कुमार पुत्र मंशा राम, 11. अजय कुमार पुत्र किशोर कुमार, 12. अनिल कुमार Through LRS आकक्षा, मनत पुत्रियां व रेणु विधवा अनिल कुमार, 13. श्रीमती लता, 14. श्रीमती ज्योति पुत्रियां किशोर कुमार, 15. साहिल कुमार पुत्र व 16. श्रीमती मीरा देवी विधवा दविंदर कुमार, 17. अश्वनी कुमार पुत्र सालो राम, 18. भूपिंदर कुमार पुत्र व 19. पूनम देवी पुत्री उत्तम चंद, 20. श्रीमती अजीता कुमारी, 21. श्रीमती नीलम कुमारी, 22. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी प्रवीण कुमार, 23. लेख राज पुत्र बिहारी लाल, 24. अजय कुमार पुत्र देवी लाल, निवासी महाल बुहली तंगरोटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 172, खतौनी नं0 242, 243, खसरा किता 9, रकबा तादादी 00-24-96 है0 वाक्या महाल बुहली तंगरोटी, मौजा योल, पटवार ब्रिट बलेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी संदीप कुमार, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार, प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 सुरेश कुमार, निवासी महाल बुहली तंगरोटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से समन तामील न हो पा रहे हैं। वादी द्वारा इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी/राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को उपरोक्तवर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रात 11:00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की

सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी उजर/ एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Samangala Devi d/o Lachho Devi, r/o Village Ghiana Khurd, P.O. Jheol, Tehsil
Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Samangala Devi d/o Lachho Devi, r/o Village Ghiana Khurd, P.O. Jheol, Tehsil
Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि
उसकी self Samangala Devi d/o Lachho Devi का/की जन्म/मृत्यु दिनांक 01-01-1966 को हुआ है
परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश
दिये जायें। इस नोटिस/मुश्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया
जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Koushalya Devi के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई
उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-01-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर
अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे
आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 143/NT/2024

तारीख पेशी : 27-01-2025

उधम सिंह पुत्र मेहता राम, निवासी गांव वन्दला, डा0 नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा
(हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उधम सिंह पुत्र मेहता राम, निवासी गांव वन्दला, डा0 नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म गांव वन्दला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 16-09-1979 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत नछीर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 27-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत नछीर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 145 / NT / 2024

तारीख पेशी : 27-01-2025

पुतली देवी पुत्री गंगा राम हाल पत्नी राणू राम, निवासी गांव सुंगर, डा0 बन्दला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

पुतली देवी पुत्री गंगा राम हाल पत्नी राणू राम, निवासी गांव सुंगर, डा0 बन्दला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव लोहना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 01-07-1947 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत आईमा हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 27-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 27/BDR/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती कांता देवी पत्नी पंचम चंद, निवासी महाल दरुग व पुत्री निधू राम, निवासी राजेंदर नगर,
उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती कांता देवी पत्नी पंचम चंद, निवासी महाल दरुग व पुत्री निधू राम, निवासी राजेंदर नगर,
उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म
दिनांक 22-11-1955 को महाल राजेंदर नगर, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस
समय स्थानीय ग्राम पंचायत छेक में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया है कि इनका
पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस
बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में
असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के
आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 17-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।